न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर(जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी :—श्री मनोज खेमादा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 05/2023

प्रार्थीगण

1. श्रीमती पारू पत्नी जयचन्द
2. श्रीमती सुखीदेवी पत्नी हनुमानराम निवासी गोदेलाई तहसील सेखाला जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सेखाला जिला जोधपुर

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम वास्ते रेकर्ड दुरस्ती</u>

उपस्थित :—

1. प्रार्थी स्वंय उपस्थित।
2. अप्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी बालेसर

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 23/1/23

प्रार्थिनी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम का पेश किया था जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैः—

ग्राम गोदेलाई पटवार मण्डल गोदेलाई तहसील सेखाला जिला जोधपुर में खसरा नम्बर 599, 599/3, 599/1 भूमि आई हुई है। जिसमें प्रार्थीगण खसरा नम्बर 599/3 के सहखातेदार है। मूल खसरा नम्बर 599 मौजा गोदेलाई में स्थित है। जिसका आपस में बंटवाडा हुआ था। बंटवाडे के अनुसार नामान्तकरण संख्या 717 दिनांक 20.01.1983 को स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् इस खसरे के बंटवाडा अनुसार उत्तरी दिशा में नरसीगाराम पुत्र मूलचंद, दक्षिण दिशा में मांगीलाल रामेशवर पुत्र बगताराम तथा दिशा में लुणकरण जसराज पि. रूपचन्द का हिस्सा अनुसार काबिज काश्त हुए। उक्त भूमि का बंटवाडा होने के पश्चात् नरसींगाराम के हिस्से में से राजीव गांधी लिफ्ट केनाल का जनपयोगी कार्य हेतु भूमि अधिग्रहण की गई कर निर्माण कार्य हुआ। अधिग्रहण भूमि का नामान्तरकरण संख्या 1190 जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग लिफ्ट केनाल जोधपुर के नाम दिनांक 18.05.1994 को स्वीकृत करके राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। अधिग्रहण भूमि का हिस्सा नरसीगाराम के हिस्से में से कम हुआ था। तहसील सेखाला का ऑनलाईन तरमीम कार्य करते समय उक्त वादग्रस्त खसरों को तरमीम राजस्व नक्शे में गलत दर्ज कर दी गई। वादग्रस्त खसरा नम्बर 599, 599/1, 599/3 की नक्शे में ऑनलाईन तरमीम तीनो खसरान की पूर्व से पश्चिमी कटाणी रास्ते के लगती हुई तरमीम होनी थी लेकिन ऑनलाईन तरमीम गलत दर्ज होने से शेष खातेदार कटाणी रास्ते से वंचित हो गये है। बंटवाडा होने के पश्चात् नरसींगाराम के हिस्से में से राजीव गांधी लिफ्ट केनाल का जनपयोगी कार्य हेतु भूमि अधिग्रहण की गई थी। अधिग्रहण भूमि का नामान्तरकरण संख्या 1190 जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग लिफ्ट केनाल जोधपुर के नाम दिनांक 18.05.1994 को स्वीकृत हुआ था जिसका खसरा नम्बर 599/2 [illegible] में दर्ज किया गया था। अधिग्रहण भूमि की अवाप्त राशि नरसींगदास पुत्र मुलंचद को प्रदान [illegible] गई [illegible] वर्तमान में जो ऑनलाई तरमीम की गई है वह बंटवाडा एवं अवाप्त की गई भूमि के विपरित की [illegible] इसलिये उक्त गलत तरमीम को निरस्त कर सही तरमीम करने हेतु प्रार्थीयों द्वारा प्रार्थना पत्र [illegible] किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Khemada
Date: 2023.03.09 16:14:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिससे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में अंकित क़िया गया है कि राजस्व ग्राम गोदेलाई के खसरा नम्बर 599, 599/1, 599/3 में राजस्व रेकर्ड व मौके की स्थिति मे भिन्नता पाई गई है। खसरा नम्बर 599 का बंटवाडा नामान्तकरण संख्या 717 दिनांक 20.01.1983 में स्वीकृत हुआ। इसके पश्चात् नामान्तकरण संख्या 1190 दिनांक 18.05.1994 को स्वीकृत हुआ। उक्त नामान्तरकरणों के आधार पर खसरा नम्बर 599 का विभाजन होने के पश्चात् खसरा नम्बर 599/2 में से जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग लिफ़्ट कनोल दर्ज हुआ जो कि खसरा नम्बर 599 खातेदार नरसिंगदास/नरसिंगराम पि. मुलचन्द के हिस्से में से कटी हुई है। रेकर्ड व मौके की स्थिति भिन्न-भिन्न है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब मे वर्तमान में की जाने वाली शुद्व तरमीम का नक्शा प्रस्तुत किया गया है।

राजकीय पैरोकार उपस्थित। प्रार्थिया उपस्थित। पत्रावली में बहस सूनी गई। प्रार्थिनीयों द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। अप्रार्थी राजकीय पैरोकार द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को स्वीकार किया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकर्ड एवं अप्रार्थी के जवाब के आधार पर प्रार्थियों का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम गोदेलाई, पटवार हल्का गोदेलाई-तहसील सेखाला जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 599, 599/1, 599/3 में वर्तमान में राजस्व नक्शे में की गई तरमीम को शुद्व करते हुए अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में अंकित राजस्व नक्शे के अनुसार उक्त खसरों के राजस्व नक्शे को शुद्व करने के आदेश दिये जाते है। अप्रार्थी का जवाब इस आदेश का भाग माना जायेगा। तहसीलदार सेखाला उक्त खसरों के राजस्व नक्शे को शुद्व करने की कार्यवाही करें। शेष खाता बदस्तुर रहेगा। आदेश की प्रति तहसीलदार सेखाला को प्रेषित हो।

फैसला आज दिनांक 23/1/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(मनोज खेमादा)
पीठासीन अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर

उपखण्ड अधिकारी
बालेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Khemada
Date: 2023.03.09 16:14:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner